संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति[1]

विषयसूची

1. उद्देश्य.. 2
2. परिभाषाएं... 2
3. संभावित संबंधित पार्टी लेनदेन की पहचान.. 3
4. संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन... 3
5. इस नीति के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन को मंजूरी नहीं दी गई है... 5
6. संबंधित पार्टी लेनदेन का खुलासा.. 5
7. समीक्षा/संशोधन...5

[1] *6 जून, 2018 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित (अंतिम संशोधित 28 अप्रैल, 2022)*

1. उद्देश्य

यह नीति सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम'), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 ('अधिनियम') के साथ पठित नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की गई है। समय-समय पर संशोधित और पुनः अधिनियमित के तहत बनाया गया।

संबंधित पक्ष के हितों में संभावित या वास्तविक टकराव हो सकता है जिससे यह सवाल उठ सकता है कि क्या ऐसे लेनदेन कंपनी और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित के अनुरूप हैं। प्रशासन को सुनिश्चित करने और संबंधित पार्टी लेनदेन ('आरपीटी') में प्रवेश और निष्पादन के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए, कंपनी के निदेशक मंडल ने इस नीति को अपनाया है।

2. Definitions

"कार्य"मतलब कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम, स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश जारी किए गएकॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा समय-समय पर इसमें संशोधन किया जाता है।

"भुजाओं की लम्बाई जितनी प्रक्रिया"इसका मतलब है कि दो संबंधित पक्षों के बीच ऐसा लेन-देन किया जाता है जैसे कि वे असंबंधित हों, ताकि हितों का कोई टकराव न हो।

"लेखापरीक्षा समिति या समिति"सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('लिस्टिंग विनियम') के प्रावधानों और अधिनियम की धारा 177 के तहत समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित "ऑडिट समिति" का अर्थ है।

"बोर्ड" का अर्थ कंपनी का निदेशक मंडल है।

"मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" का अर्थ अधिनियम की धारा 203 के तहत परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक है।

"सामग्री संशोधन"संबंधित पार्टी लेनदेन में किसी भी संशोधन का मतलब होगा, जैसा कि मूल रूप से लेखापरीक्षा समिति और/या शेयरधारकों (सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन के मामले में) द्वारा अनुमोदित किया गया है, व्यक्तिगत रूप से या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले संशोधनों के साथ लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य में भिन्नता होती है , मूल रूप से स्वीकृत लेनदेन का कम से कम 20%, या रु. 1 करोड़ जो भी अधिक हो।

"नीति" का अर्थ संबंधित पार्टी लेनदेन नीति से निपटना है।

"संबंधित पार्टी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम 2013 और लिस्टिंग विनियमों के तहत दिया गया है।

“संबंधित पार्टी लेनदेन" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम 2013 और लिस्टिंग विनियमों के तहत दिया गया है।

"रिश्तेदार" का अर्थ रिश्तेदार है जैसा कि कंपनी (परिभाषा विवरण की विशिष्टता) नियम, 2014 के तहत परिभाषित किया गया है।

3. संभावित संबंधित पार्टी लेनदेन की पहचान

अधिनियम और/या लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित मानदंडों और कंपनी के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से प्राप्त घोषणाओं/प्रकटीकरणों के आधार पर, संबंधित पक्षों की सूची संकलित और अद्यतन की जाएगी। समय – समय पर।

4. संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन

A. लेखा परीक्षा समिति

- सभी लेनदेन जिन्हें आरपीटी के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें बाद में सामग्री संशोधन भी शामिल है, ऐसे लेनदेन में प्रवेश करने से पहले ऑडिट समिति द्वारा पूर्व-अनुमोदन किया जाना चाहिए। ऑडिट समिति अपनी मंजूरी के लिए आरपीटी पर विचार-विमर्श करते समय सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगी। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ लेनदेन या कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए लेनदेन को लिस्टिंग विनियम और अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार छूट दी जाएगी।
- समिति का कोई भी सदस्य जिसकी किसी आरपीटी में संभावित रुचि है, वह खुद को बचा लेगा और आरपीटी के अनुमोदन पर चर्चा और मतदान से दूर रहेगा।
- लेखापरीक्षा समिति उन आरपीटी के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान कर सकती है जो प्रकृति में दोहराव वाले हैं और लिस्टिंग विनियमों के तहत उल्लिखित मानदंडों/शर्तों के अधीन हैं। ऑडिट समिति लिस्टिंग विनियमों और अधिनियम के लागू प्रावधानों के तहत निर्धारित तरीके और सीमा तक कंपनी द्वारा प्रस्तावित आरपीटी को सर्वव्यापी मंजूरी देने के लिए मानदंड निर्धारित करेगी। ऐसा सर्वव्यापी अनुमोदन एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध होगा और एक वर्ष की समाप्ति के बाद नए अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- सर्वग्राही अनुमोदन के माध्यम से अनुमोदित आरपीटी सहित सभी आरपीटी की तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। संबंधित पक्ष लेनदेन की किसी भी समीक्षा के संबंध में, समिति के पास इस नीति की किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता को संशोधित करने या माफ करने का अधिकार है।
- कंपनी द्वारा दर्ज किए गए आरपीटी, जो सर्वव्यापी अनुमोदन के तहत नहीं हैं या अन्यथा समिति द्वारा पूर्व-अनुमोदित हैं, उन्हें संबंधित क़ानून या विनियमों के तहत निर्धारित समय के भीतर अनुसमर्थन के लिए समिति के समक्ष रखा जाएगा।

- बाद के सामग्री संशोधनों सहित आरपीटी, जिसमें कंपनी की एक सहायक कंपनी एक पार्टी है लेकिन कंपनी एक पार्टी नहीं है, को कंपनी की ऑडिट समिति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी यदि ऐसे लेनदेन का मूल्य व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया हो या पिछले लेनदेन के साथ लिया गया हो। सहायक कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, वार्षिक समेकित कारोबार (01 अप्रैल, 2023 से वार्षिक स्टैंडअलोन कारोबार) के 10% से अधिक है।

  इसके अलावा, संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए ऑडिट समिति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें कंपनी की सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पार्टी है, लेकिन कंपनी एक पार्टी नहीं है, यदि सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियमन 23 और विनियमन 15 (2) हैं ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होते हैं।

B. निदेशक मंडल

यदि लेन-देन (i) व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं है, या (ii) एक हाथ की लंबाई की कीमत पर नहीं है, तो ऑडिट समिति द्वारा किसी भी आरपीटी को अनुमोदन के लिए बोर्ड को भेजा जाता है, तो बोर्ड ऐसे कारकों पर विचार करेगा: , लेन-देन की प्रकृति, भौतिक शर्तें, मूल्य निर्धारण का तरीका और ऐसे लेन-देन में प्रवेश करने के लिए व्यावसायिक तर्क। इस तरह के विचार पर, बोर्ड लेनदेन को मंजूरी दे सकता है या लेनदेन की शर्तों में ऐसे संशोधनों की आवश्यकता कर सकता है जो वह परिस्थितियों के तहत उचित समझे। बोर्ड का कोई भी सदस्य जिसे किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन में कोई दिलचस्पी है, वह खुद को बचाएगा और संबंधित पार्टी लेनदेन के अनुमोदन पर चर्चा और मतदान से दूर रहेगा।

C. शेयरधारकों

- कोई भी आरपीटी जो (i) एक संबंधित पक्ष के साथ बाद के भौतिक संशोधन सहित एक महत्वपूर्ण लेनदेन है, यदि लेन-देन व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाना है या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया जाना है, तो रुपये से अधिक है। 1000 करोड़ या कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी कम हो और/या (ii) व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं है, या हाथ की लंबाई की कीमत पर नहीं है और लिस्टिंग विनियमों और अधिनियम के तहत निर्धारित कुछ सीमाओं से अधिक होने पर शेयरधारकों की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। ऐसे मामले में, कंपनी का कोई भी सदस्य जो संबंधित पक्ष है, ऐसे संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देने के लिए पारित प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

  बशर्ते कि संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए किसी कंपनी के शेयरधारकों की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पार्टी है, लेकिन कंपनी एक पार्टी नहीं है, यदि इनमें से विनियमन 23 और विनियमन 15 के उप-विनियम (2) हैं ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर नियम लागू होते हैं।

- ब्रांड उपयोग या रॉयल्टी के संबंध में संबंधित पार्टी को किए गए भुगतान से जुड़े किसी भी लेनदेन को महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया लेनदेन या पिछले लेनदेन के साथ लिया गया लेनदेन, वार्षिक समेकित कारोबार के 5% से अधिक हो। कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई।

5. इस नीति के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन को मंजूरी नहीं दी गई है

यदि कंपनी को किसी ऐसे आरपीटी के बारे में पता चलता है जिसे नीति के समापन से पहले अनुमोदित किया गया है, तो मामले की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की जाएगी। ऑडिट समिति संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेगी, और संबंधित पार्टी लेनदेन के अनुसमर्थन, संशोधन या समाप्ति सहित कंपनी के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का मूल्यांकन करेगी। ऑडिट समिति मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर सकती है और ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो वह उचित समझे।

6. संबंधित पार्टी लेनदेन का खुलासा

(i) संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण का खुलासा उस तरीके से किया जाएगा जो समय-समय पर लिस्टिंग विनियमों और/या अधिनियम (इसके तहत बनाए गए नियमों सहित) के तहत निर्धारित किया जा सकता है।

(ii) इस नीति का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा।

7. समीक्षा/संशोधन

ऑडिट समिति और बोर्ड द्वारा हर तीन साल में कम से कम एक बार इस नीति की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कानून की आवश्यकताओं और कंपनी की जरूरतों को पूरा करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 या लिस्टिंग विनियम या किसी अन्य वैधानिक अधिनियम ("विनियम") और इस नीति के प्रावधानों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, विनियम इस नीति पर प्रभावी होंगे। इस संबंध में विनियमों में कोई भी आगामी संशोधन/संशोधन स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होगा।